न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवा राम धोजक, RAS

अपील संख्या 108 / 2012

1 रिजवणी उर्फ रिजमणी पत्नी अकबर।
2 सिकन्दर पुत्र अकबर समस्त जाति दिवान निवासी मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील व जिला झुंझुनू।
2 नगरपालिका मण्डावा जरिये अधिशाषी अधिकारी तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ आदेश व डिक्री दिनांक 15.06.2012
उनवानी मुकदमा रिजवणी वगैरह बनाम राजस्थान सरकार
मुकदमा नम्बर 33 / 2010 बखिलाफ आदेश व डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू।

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 7.6.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 33/2010 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कस्बा मण्डावा स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 196 तादादी 30 बीघा 12 बिश्वा में से 2 बीघा 10 बीश्वा जमीन की काश्त वादीगण के पूर्वज दिदारखा दिवान करते थे। दिदारखा के देहान्त के बाद में कुरड़ा पुत्र दिदारखां काश्त करते आ रहे थे। उक्त कुरड़ा के देहान्त के बाद इस जमीन जैर बहस में से 2 बीघा 10 बिश्वा पुख्ता की काश्त वादीगण लगातार करते आ रहे है व काबिज है। कुरड़ा के वारिसान ने उसका पुत्र अकबर हुआ। अकबर का भी देहान्त हो गया। अकबर के वारिसान अकबर की पत्नी रिमजनी व पुत्र सिकन्दर ही है। अन्य कोई वारिसान नहीं है। खसरा नम्बर 196 तादादी 30 बीघा 12 बिश्वा को काफी लोग काश्त करते थे। उक्त सभी लोगो की गैर खातेदारी में यह जमीन चली आ रही थी। समय–समय पर गैर खातेदार ने अपने हक व हिस्से की जमीन को सामलाती से अलग–अलग करवाकर के अपने खातेदारी में जर्द करवा ली। अब खसरा नम्बर 196 मीन तादादी 2 बीघा 10 बिश्वा जमीन अकेले वादीगण की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पैमाईश में गत खसरा नम्बर 196 मीन तादादी 2 बीघा 10 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 467/1906 तादादी 0.64 हैक्टेयर बने व चालु जमाबन्दी में वादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है। जैर बहस भूमि को ठिकाने के समय से ही वादीगण के पूर्वज काश्त करते आ रहे है व उनके देहान्त के बाद में जमीन जैर बहस को पैत्रिक सम्पति होने से वादीगण काश्त करते आ रहे है व साबिज है। प्रारम्भ से जमाबंदियों में वादीगण के पूर्वजों की गैर खातेदारी में यह जमीन सम्वत् 2012 से ही चली आ रही है। जैर बहस भूमि पर सुधार के लिए ऋण हेतु बैंक में जाने व राजस्व रिकार्ड में नकल लेने पर गैर खातेदारी दर्ज होना जानकारी में आया। अन्त में वाद पत्र की धारा 14 क, के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय पारित करने से पहले अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 14 का अवलोकन नहीं किया प्रदर्श 1 लगायत 14 का विचारण न्यायालय अवलोकन करती तो अपीलान्टस का वाद खारिज नहीं करती। विचारण न्यायालय में पेश शुदा दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 14 में यह पूर्णतया साबित है कि अपीलान्टस अपने पूर्वजों के द्वारा व पूर्वजों के देहान्त के बाद में वारिसान के अनुसार काश्त करते है व काबिज है। विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करते वक्त अपीलान्टस द्वारा पेश दस्तावेजात प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी संख्या 2016 से 2019, प्रदर्श 4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 व प्रदर्श 5 नकल जमाबन्दी सं. 2020 से 2023 की तरफ अवलोकन नहीं किया लगता है। प्रदर्श 3 लगायत 5 में अपीलान्टस के पूर्वज को खातेदार काश्तकार बता रखा है व उक्त खातेदारी से गैर खातेदारी में जमीन दर्ज होने का कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है। अपीलान्ट ने अदालत हाजा में पी.डब्लु. 1 के बयान करवाये है व प्रदर्श 1 लगायत 14 जमाबन्दीयां व खसरा गिरदावरियां पेश की है उक्त सभी में अपीलान्ट के पूर्वज दीदारखां, स्व. कुरड़ा, स्व अकबर, के वारिसान के रूप में अपीलान्ट का नाम दर्ज है। व यह जमीन ठिकाने की जमीन थी व काफी गैर खातेदार थे उन सभी को विचारण न्यायालय ने खातेदारी दे दी। गत खसरा नम्बर 196 मीन तादादी 2 बीघा 10 बिश्वा के वर्तमान खसरा नम्बर 467/1906 तादादी 0.64 हैक्टेयर दर्ज है जो कुरड़ा पुत्र दीदारखां के नाम दर्ज थी व कुरड़ा का देहान्त हो गया व कुरड़ा के पुत्र अकबर का भी देहान्त हो गया अपीलान्ट उक्त अकबर के वारिसान है कानूनन अपीलान्ट को गैर खातेदार से खातेदारी में जमीन दी जावे। अतः अपील स्वीकार कर खसरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 196 तादादी 30 बीघा 12 बिश्वा में से खसरा नम्बर 196 मी. तादादी 2 बीघा 10 बिश्वा की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2021 पेज 262, आरआरटी 2023 पेज 396, आरआरटी 2022(2) पेज 1198 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.6 (35)राज–6/2001/18 दिनांक 23.10.2001 के द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि गैर खातेदारों को इनकी भूमि राजकीय मानते हुये नियमन के संबंध में जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों के तहत नियमन कर दिया जावें। अतः आवेदक को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत सक्षम आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने विवादित भूमि पूर्व में अपीलांट के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज होना तदुपरांत गैर खातेदारी में दर्ज होने के तथ्य को चुनौती देकर विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का वादकथन के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किये बिना केवल मात्र यह अंकन कर कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.6 (35)राज–6/2001/18 दिनांक 23.10.2001 के द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि गैर खातेदारों को इनकी भूमि राजकीय मानते हुये नियमन के संबंध में जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों के तहत नियमन कर दिया जावें। अतः आवेदक को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत सक्षम आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था वादी का वाद खारिज किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है। प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन कर पुनः निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवा राम धीजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर